न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 78 / 2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 हिम्मतसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुत निवासी मेव तहसील सोजत जिला पाली राज0।		1 लादीदेवी पत्नी चन्द्राराम जाति गुर्जर निवासी पतालीया, बिलाडा तह0 बिलाडा जिला जोधपुर राज0। 2 मेलीदेवी पत्नी कालुराम जाति गुर्जर निवासी मेव तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत(भू0अ0) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 उपस्थित।
3. तहसीदार सोजत अप्रार्थी उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 12/06/25

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा मेव तह0 सोजत के प्रार्थी के वर्तमान खसरा संख्या 563 रकबा 4.39 है0 की कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की [illegible] भूमि खसरा संख्या 564 रकबा 3.4100 है0, खसरा नंबर 562 रकबा 1.5600 है0 में से 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 बावजूद सूचना/तामिली बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 02 व 03 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने में विफल रहने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरवे मौका स्वयं उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1008

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

दिनांक 31.07.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 खारीया नींव, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खसरात में जाने हेतु ख.नं. 562 रकबा 1.56 है0 मे से 10 फीट चौडा रास्ता यानि 240 वर्गमीटर भूमि तथा ख0नं0 564 रकबा 3.40 है0 मे से 250 वर्गमीटर भूमि 10 फीट रास्ते हेतु प्रस्तावित कुल 20 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया, की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता वकुलाय व तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा मेव तह0 सोजत के प्रार्थी के वर्तमान खसरा संख्या 563 रकबा 4.39 है0 की कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 564 रकबा 3.4100 है0, खसरा नंबर 562 रकबा 1.5600 है0 में से 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं का उल्लेख अपने प्रा0पत्र में नहीं किया गया। जिससे प्रार्थी का प्रा0पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय एवं तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूॅच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 खारीया नींव, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

खसरा नम्बर 562, 564 मे से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार ... मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा मेव तह0 सोजत के प्रार्थी के वर्तमान खसरा संख्या 563 रकबा 4.39 है0 की कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 564 रकबा 3.4100 है0, खसरा नंबर 562 रकबा 1.5600 है0 कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (203343/–रू0 × 2 × 0.0490 है0 = 19927.6/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र0 स0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारों के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	562 बा0 अ0	1.5600 है0	थेलीदेवी पत्नि कालु... हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0...	0.0240 है0	9760.46 /–रू
02.	564 बा0अ0	3.4100 है0	लादीदेवी पत्नि चन्द्राराम हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 मतालीया, चिलाडा खातेदार	0.0250 है0	10167.15 /–रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 12/06/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)